



Neutral Citation No-2026:AHC:8762

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 51 वर्ष 2026

राम प्यारे याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: धीरेंद्र सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

"I. धारा 48 (3) यू.पी.सी.एच. अधिनियम के तहत पुनर्स्थापना संख्या-53, संख्या-आरएसटी/0318/2025, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या-202554155100000318 राज्य बनाम सनेही और अन्य की सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए चकबंदी के उप निदेशक मऊ, मऊ (प्रतिपक्षी संख्या-2) को परमादेश में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करता हूं और निर्धारित समय के भीतर इसका निर्णय लेता है जिसे यह माननीय न्यायालय तय कर सकता है।

3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के हित में पूर्ववर्ती ने दिनांक 26.02.2003 के आदेश के खिलाफ 01.04.2024 को एक बहाली आवेदन दायर किया था, जो चकबंदी के उप निदेशक (प्रतिपक्षी संख्या-2) की अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुका है और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।



4. उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किए जाने की स्थिति में स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

5. इस विवेचन में, जैसा कि उपर्युक्त है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी के उप निदेशक (प्रतिपक्षी संख्या-2) को निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाने के लिए उचित समझता है, जिसके समक्ष उपर्युक्त मामला निपटान के लिए लंबित है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से पांच महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से, अधिमानतः निर्णय लेना।

6. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 13, 2026

वीकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)